

**"टैरिफ ऑफर प्रकाशित करने में पारदर्शिता" पर परामर्श पत्र पर प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना**

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 27 नवंबर, 2019 को "टैरिफ ऑफर प्रकाशित करने में पारदर्शिता" पर परामर्श पत्र पर हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां आमंत्रित की थी। हितधारकों से परामर्श पत्र लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 26 दिसंबर, 2019 और 9 जनवरी, 2020 रखी गई थी। टिप्पणियां प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ाए जाने के संबंध में हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखकर लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर क्रमशः 7 फरवरी, 2020 और 21 फरवरी, 2020 किया गया था।

2. परामर्श पत्र पर टिप्पणियां आज अपलोड की गई हैं। प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 3 मार्च, 2020 किया गया है। परामर्श पत्र पर प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में [advfea1@trai.gov.in](mailto:advfea1@trai.gov.in) पर श्री कौशल किशोर, सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण) को भेजें।
4. किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री कौशल किशोर, सलाहकार (वित्त एवं आर्थिक विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर 91-11-23230752/23236650 (फैक्स) पर संपर्क किया जा सकता है।

(यू. के. श्रीवास्तव)

सचिव (आई/सी), भादूविप्रा

**अस्वीकरण:** यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।